हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुकम	राजस्व वाद संख्या 440/2018 अनवान आसूराम बनाम विरधाराम
	[illegible] 15/01/19 को [illegible] पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर
15/01/19	वादीगण के अधिवक्ता श्री नृसिंह सोलंकी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 विरधाराम वकील श्री बांकाराम चौधरी उपस्थित। [illegible] द्वारा प्रस्तुत [illegible] सामिल पत्रावली किया गया। बहस सुनी गई। वास्ते आदेश 21.01.2019 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर
	निर्णय दिनांक :– 21.01.2019
21.01.19	वादीगण की और से अधिवक्ता श्री नृसिंह सोलंकी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01 विरधाराम की और से उनके अधिवक्ता श्री बांकाराम चौधरी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा इकबाली जवाब दावा दिनांक 15.01.2019 को प्रस्तुत करते हुए स्वीकार किया गया है कि वादग्रस्त भूमि मौजा मंगनाणियों की ढाणी मटवार मण्डल भाडखा तहसील व जिला बाडमेर में स्थित खसरा संख्या 897/802 रकबा 55.01 बीघा, खसरा संख्या 939/884 रकबा 18.02 बीघा, खसरा संख्या 1008/884 रकबा 15.02 बीघा, खसरा संख्या 1024/878 (1042/878) रकबा 78.19 बीघा कुल रकबा 167.12 बीघा भूमि आई हुई है। उक्त भूमि पैतृक है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 की जायन्दा औलाद है। वादग्रस्त भूमि पैतृक होने से हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत पिता के जीवनकाल में सहखातेदारी में घोषित करवाने के अधिकारी बनते है।

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर 14/02/19

Scanned by CamScanner

रीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व वाद संख्या 440/2018 अनवान आसूराम बनाम विरधाराम**	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
	ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि में वादीगण को सहखातेदार घोषित किया जाता है तो मुझ प्रतिवादी वीरधाराम को कोई आपति नही है। उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई एवं वाद पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। मौजा मंगनाणियों की ढाणी पटवार मण्डल भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर में स्थित खसरा संख्या 897/802 रकबा 55.01 बीघा, खसरा संख्या 939/884 रकबा 18.02 बीघा, खसरा संख्या 1008/884 रकबा 15.02 बीघा, खसरा संख्या 1024/878 (1042/878) रकबा 78.19 बीघा कुल रकबा 167.12 बीघा भूमि पैतृक होने से वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 वीरधाराम की खातेदारी में सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी बनते है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा मंगनाणियों की ढाणी पटवार मण्डल भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर में स्थित खसरा संख्या 897/802 रकबा 55.01 बीघा, खसरा संख्या 939/884 रकबा 18.02 बीघा, खसरा संख्या 1008/884 रकबा 15.02 बीघा, खसरा संख्या 1024/878 रकबा 78.19 बीघा कुल रकबा 167.12 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 वीरधाराम के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए वादीगण प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 का 1/5 हिस्सा खातेदारी में घोषित किया जाता हैं। जमाबन्दी चौसाला में एमजीबी शाखा भाड़खा के नाम रहन का अंकन यथावत कायम रहेगा। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड मजिस्ट्रेट (SDO) बाड़मेर	उपखण्ड मजिस्ट्रेट (SDO) बाड़मेर 14/02/19

Scanned by CamScanner

...व हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व वाद संख्या 440/2018 अनवान आसुराम बनाम विरधाराम**	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
14.02.2019	वादीगण की और से वकील श्री नृसिंह सोलंकी द्वारा एक आवेदन अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व वाद संख्या 440/2018 में पारित निर्णय दिनांक 21.01.2019 में पृष्ठ संख्या 01 व 02 पर खसरा संख्या 1042/878 के स्थान पर 1024/878 अंकित किया गया है। उक्त त्रुटी लिपिकीय त्रुटी है जिसे दुरूस्त कर शुद्ध खसरा संख्या 1042/878 डिकरी व निर्णय मे अंकित करवाने के आदेश प्रदान करावें। आवेदन पर वकील वादीगण को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि वदग्रस्त भूमि का वास्तविक खसरा संख्या 1042/878 है, जबकि लिपिकीय त्रुटी से उक्त खसरा संख्या 1024/878 अंकित हो गया है, जो शुद्धियोग्य है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व वाद संख्या 440/2018 में पारित निर्णय दिनांक 21.01.2019 में पृष्ठ संख्या 01 व 02 पर खसरा संख्या 1024/878 के स्थान पर 1042/878 अंकित शुद्ध किया जाता है। तदनुसार संशोधित डिकरी पर्चा जारी हो। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व रेकड में अमल दरामद करे। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। आवेदन सुमार फैसल होकर मूल वाद के संलग्न हो। सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर	

Scanned by CamScanner